AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF: 1.048(I2OR), 3.125 (IIFS) & 3.8(SJIF)
Vol (3), Issue (2), April-June 2026 ISSN: 3048-7951

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में नमो ड्रोन दीदी योजना का योगदानःएक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० दुष्यन्त[1]

DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.21137522
Review: 05/06/2026 Acceptance: 11/06/2026 Publication: 02/07/2026

शोध सारांश

प्राचीन काल से ही महिला एक अच्छे प्रबंधक के रूप में कार्य करती आयी है क्योंकि घर रूपी इकाई या संस्था का प्रबंधन न केवल व अपनी आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक व सांस्कृतिक व परिवार के आधार पर करती है, बल्कि सामंजस्य और तनावपूर्ण शक्ति को ध्यान में रखकर प्रबन्धन का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये स्वयं सहायता समूह की शुरुआत सन् 1972 से मानी जाती है। क्योंकि स्वयं सहायता समूह, समाज–सामाजिक आर्थिक पृष्ठ भूमि में महिलाओं के द्वारा अपनी स्थिति में सुधार के लिये बनाये जाते हैं। ग्रामीण महिलाओं को स्वालंबी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयंसहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे है। ग्रामीण महिलाएं इन समूहों से जुड कर सशक्त हो रही है। इस वजह से सरकारी कार्यक्रमों में भी स्वयं सहायता समूह को तवज्जों दी जा रही है। इन समूहों से जुडकर ग्रामीण महिलाएं अपनी पहचान तो बना ही रही है, अपितु गांव के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नमो ड्रोन दीदी योजना द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण तथा सहायक समूहों द्वारा उनके विकास में भूमिका का अध्ययन करना है।

मूल शब्द : ग्रामीण महिलाए, स्वरोजगार, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण।

प्रस्तावना–

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्रामणी महिलाओं के सशक्तिकरण में नमो ड्रोन दीदी योजना का योगदान : एक समाजशास्त्रीय वर्णनात्मक अध्ययन किया है। किसी भी समाज के समग्र एवं सन्तुलित विकास के लिए महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना परम आवश्यक है। समाजशास्त्री दृष्टीकोण से महिलायें सामाजिक संरचना की रीड़ होती है। इनके अस्तित्व के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वयं सहायता समूह सामाजिक–आर्थिकी समस्याओं को हल करने के लिये एक साथ तत्पर रहते हैं।[1] नारी मानव जाति की जननी तथा मानव विकास के क्रम में विभिन्न पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। भारतीय संस्कृति में समाज के इस हिस्से को सदैव ही अधिक महत्व दिया गया है। वैदिक काल में तो महिलाओं को 'देवी' तुल्य समझा जाता था परन्तु मध्यकाल में विभिन्न आक्रान्ताओं के साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् उत्पन्न हुई सामाजिक समस्याओं के फलस्वरूप हिन्दू धर्म की रक्षा एवं स्त्रियों के अस्तित्व की रक्षा हेतु महिलाओं के संबंधों में कुछ नियमों को कठोर बना दिया गया था। महिलाओं ने भी इन नियमों को अपने जीवन में लागू करने में संकोच का अनुभव नही किया।

महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, पर्दाप्रथा के कारण अशिक्षा एवं संयुक्त परिवार की सुद्धढ़ता हेतु महिलाओं को दबाकर रखने की प्रवृति ने भारत में महिलाओं की स्थिति को निरन्तर बना दिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा महिलाओं को भी पुरूषों के समान संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया, इन प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए। फिर भी स्थिति संतोषप्रद नही कही जा सकती है। क्योकि वर्तमान समय में भी सिद्धान्त एवं व्यवहार में भिन्नता पायी जाती है। भारतीय संविधान पुरुषों व महिलाओं के बीच अधिकारों की मान्यता देता है, परन्तु निर्विवाद रूप से स्त्रियों की भूमिका व क्रिया में भेद स्वीकार करता है। संविधान गत समानता की व्यवस्था महिलाओं की

[1] सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, संघटक राजकीय महाविद्यालय, मीरापुर बाँगर, बिजनौर।

स्थिति संवैधिनिक दृष्टि से तो सुद्धढ़ हो गई किन्तु वास्तविक रूप में आज भी महिलाएँ शोषण व उत्पीड़न की शिकार बनी हुई है। महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उनकी सामाजिक रूपरेखा को जानना अति आवश्यक है।[2]

प्रस्तुत शोध में वर्णात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा शोध पत्र में द्वितीय सामग्री का प्रयोग किया गया है।

ग्रामीण महिला

भारतीय ग्रामीण समुदायों में या समाज में नारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी उसे दासी के रूप में समझा जाता रहा है। कन्या–वध, बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा, विधवा पुर्नः विवाह का अभाव था तथा महिलायें आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर थी परिवार की सम्पत्ति पर भी पुरुषों का ही एकाधिकार था ऐसे ही अनेक कारण रहे है। जो भारतीय ग्रामीण नारी की सामाजिक स्थिति को नगरीय स्त्रियों की तुलना में निम्न बनाये रखने में योग देते हैं। आधुनिक समाज में ग्रामीण महिला की शिक्षा एक अहम प्रश्न है क्योंकि नारी हमेशा से ही उपेक्षित रही है। इसका एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया जाये तो हम पाते हैं कि वैदिक काल में स्त्री को समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त था परन्तु कालान्तर में नारी का स्थान समाज में पतीत होता चला गया यहां तक कि मध्यकाल में नारी का साधन बनकर रह गयी।

ग्रामीण महिलायें, कृषि, पुशपालन और घरेलू कार्यों में रीड़ की हड्डी के समान है जो परिवार के पालन–पोषण और परिवार में भागीदारी के ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा और पूंजी तक सीमित पहुंच के बीच संघर्ष कर रही है। सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वे आर्थिक आत्म निर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही है।[3]

कार, चेन एवं झाबवाला के अनुसार ''घर की चारदीवारी के भीतर महिलायें अपने आपको कामजोर अनुभव करती है लेकिन समूह में भागदारी एवं अन्य सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं से अन्तः क्रिया के माध्यम से आत्मनिर्भरता का स्वयं सहायता समूह प्रारुप महिलाओं के व्यापक विकास एवं सशक्तिकरण पर जोर देता है।[4]

स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। 1970 में बांग्लादेश से गरीब और समाज के निम्न तबके के लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के रूप में जीवंत रूप प्रदान करने वाले नोबेल पुरूस्कार विजेता प्रो० मोहम्मद युनुस का योगदान अविस्मरणीय है। चार दशक के बाद आज भी स्वयं सहायता समूह बहुत प्रासंगिक है। इस समूह के माध्यम से सभी सदस्य अपनी सामूहिक बचत निधि से जरूरतमंद सदस्य को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका उपार्जन हेतु अपनी उधमशीलता को आकार प्रदान करता है तथा विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आर्थिक सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए महिलाओं को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की और आज लघुवित्त आन्दोलन विश्व के सात हजार संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है जिससे लगभग एक करोड़ छः लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है तथा भविष्य में और भी व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।

वास्तव में स्वयं सहायता समूह गाँव के व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो अपनी इच्छा से संगठित होकर, नियमित रूप से थोड़ी–थोड़ी बचत जमा करके सामूहिक निधि में जमा करते है और इसका उपयोग समूह के सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूहों में गरीब महिलाएँ विभिन्न कारणों जैसे किसी समस्या, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और एक–दूसरे की मदद करना आदि कारणों से एकजुट होती है। महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों की सफलता को देखते हुए विश्व बैंक ने भी उन्हें प्रोत्साहन दिया है कि इस मॉडल को दूसरे के

लिए भी अनुकूल किया जा सकता है। ये समूह महिला सशक्तिकरण के युग में प्रवेश करने की दिशा में गरीब महिलाओं को एक मंच प्रदान करते है।

भारत में स्वयं सहायता समूहों की नींव आजादी से पहले ही पड़ गयी थी परन्तु इसकी औपचारिक तौर पर शुरूआत सत्तर के दशक में अहमदाबाद के SEWA (सेल्फ इम्प्लायड विमेन एसोसिएशन) 1972 से हुयी और सेवा को आर्थिक रूप से कमजोर और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के यूनियन के रूप में जाना जाने लगा। इसकी संस्थापक इलाबेन भट्ट ने विमेन और माइक्रोफाइनेंस की अवधारणा को जन्म दिया इसके बाद देश में एसएचजी की शुरूआत हो गयी चाहे वह महाराष्ट्र की अन्नपूर्णा महिला मण्डल हो या तमिलनाडू का 'वर्किंग विमेंस फोरम' या मैसूर का मयारडा (MYRADA) भारत के हर कोने में महिला स्वयं सहायता समूहों का वर्चस्व बढ़ने लगा। स्वयं सहायता समूह का प्रमुख कार्य महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करना है ताकि वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें और साथ गरीबी उन्मूलन कर सकें।

स्वयं सहायता समूह विभिन्न राष्ट्रीय और सहकारी समूहों के माध्यम से बिना किसी संपर्श्रिवक सुरक्षा (Collateral Security) और कम ब्याज दर के बहुत आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करता है। यह सदस्यों के आपसी सहयोग विश्वास और परस्पर निर्भरता पर काम करता है इन सुविधाओं के कारण यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय देशों में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। इसने सूक्ष्म ऋण के क्षेत्र में नयी क्रान्ति ला दी, जिससे महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण हुआ और साथ ही यह आत्मविश्वास, आत्मसुरक्षा और आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि करता है इससे साक्षरता दर, बचत की आदतें स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों जैसे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारकों में वृद्धि हुई है।[5]

स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य–

- महिलाओ मे अपनी आय प्रबन्ध की क्षमता को बढाना।
- निर्धन व्यक्तियों में नतृत्व क्षमता का विकास करना।
- समुदाय के सदस्यों के स्वास्थ्य एंव पोषण में सुधार करना।
- ग्रामीण महिलाओं में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचत की भावना को प्रोत्साहीत करना।
- स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना, उन्हे आत्मनिर्भर बनाना।
- स्वयं सहायता समूह के माध्यम से व्यक्तियों को बैंक से जुडने का अवसर प्राप्त होता है।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा मिलजुलकर निर्माण एवं सहयोग की भावना का विकास होता है ।

इस प्रकार किसी एक या अधिक उद्वेश्यों को लेकर स्वयं सहायता समूह का निमार्ण किया जाता है।

यह समान आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि वाले 10–25 सदस्यों का ऐंच्छिक समूह है। जो नियमित रूप से अपनी आय में बचत करते है। इस व्यक्तिगत राशि को सामूहिक निधि मे योगदान के लिए परस्पर सहयोग करते है। वह सामूहिक निर्णय लेते है। समूह द्वारा तय नियमो पर ऋण उपलब्ध करवाते है। इस प्रकार हमारे यहां स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं को एक नयी पहचान मिली हैं। स्वयं सहायता समूह में कार्य करने के कारण महिलाओ के आत्मविश्वास मे वृद्वि होती हैं। घर से बाहर एक समूह के रूप मे छोटी–छोटी बचत इकट्ठी कर ऋण लेकर लघु उद्योग स्थापित कर उन्हें गौरव महसुस होता हैं। स्वयं सहायता समूहों ने हमारे देश मे सामाजिक– आर्थिक विकास मे योगदान दिया है।[6]

स्वयं सहायता समूहो का योगदान

- समाज के लागों में उद्यमशीलता एंव प्रबंधकीय गुणों जैसे नेतृत्व, निर्णय क्षमता का विकास करना।
- सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- समहू द्वारा आर्थिक गतिविधियों से मूल्यवर्द्धक वस्तुओ का उत्पादन करना। जिससे समाज की आवश्यकता पूर्ण हो सके।
- इन समूहो द्वारा नवाचार एंव रचनात्मक उधोगों को प्रोत्साहन मिलता है।
- स्वयं सहायता समूह रोजगार एंव स्वरोजगार से निर्धनता उन्मूलन मे सहायक होते है।
- विभिन्न संसाधनों मानव, वित्तीय, आदि के समुचित उपयोग से स्थानीय मांगों के अनुरूप वस्तुओ के उत्पादन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबुती प्रदान करना।
- ग्रामीण से बाहरी क्षेत्रों मे होने वाले पलायन को रोकने मे सहायक।
- समुदाय मे स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- श्रम आधारित नए रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों को बढावा।
- विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय आर्थिक एंव सामाजिक असमानता को कम करने मे सहायक।
- स्वयं सहायता समूहो का निमार्ण होने से दुसरे संस्थानो पर वित्तीय निर्भरता कम हो जाती है।
- महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य सामग्री जैसे आचार, पापड, दलिया, अगरबत्ती, मुरब्बा आदि की सुगम उपलब्धता के कारण महिलाओं एंव बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है।

स्वयं सहायता समूहों के प्रभाव पर चर्चा करें तो विभिन्न सर्वेक्षणो एंव अध्ययनों मे यह उभर कर सामने आया है कि इससे ग्रामीण महिलाओं की भौतिक गतिशीलता, निर्णय के अधिकार, आर्थिकी आत्मनिर्भरता आदि में वृद्वि हुई है।[7]

सशक्तिकरण

सशक्तिकरण की विचारणा की शुरूआत सन् 1980 के दशक में दुहरे उद्देश्य तत्कालीन असमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को चुनौती देना था। और दूसरा इसी से जुड़ा अनिवार्य उद्देश्य आमूलचूल रूपान्तरण करने का रहा है। सन् 1990 के आसपास विकास की कुछ मुख्यधारा संस्थाओं ने इस अवधारणा को विकास के एक वैकल्पिक उपागम के रूप में अपना लिया। गीता सेन और करेन ग्राऊने ने सन् 1987 में अपनी पुस्तक 'विकास, संकट और वैकल्पिक दृष्टियां (परिप्रेक्ष्य)' में सर्वप्रथम "एम्पाउरमैन्ट" शब्द का प्रयोग किया है। बाद में विकासात्मक समाजशास्त्रियों और महिलाओं के जीवन में सुधार में रूचि रखने विद्वानों ने इसका प्रयोग लिंग–सम्बन्धों में किया। प्रारंभ में (1970 के दशक में) विकास कार्यों के साथ स्त्रियों को जोड़ने और बाद में (1980 के दशक में) लिंग और लैंगिक सम्बन्धों के अध्ययनों में इसका प्रयोग किया गया। कुछ आंदोलनकारी विद्वानों और सिद्धान्तकारों का मत था कि महिलाओं का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें पितृतंत्र से छुटकारा नहीं मिलता तथा वैश्विक असमानता को चुनौती देने हेतु उन्हें सक्षम और सबल नहीं बनाया जाता। गीता सेन और करेन ग्राऊन ने अपने इसी लेखन के संदर्भ में इस पद का प्रयोग किया है और आशा व्यक्त की है कि राजनीतिक आन्दोलनों, कानूनी परिर्वतनों, चेतना जागृति और जनसुलभ शिक्षा के द्वारा महिलाओं में रूपान्तरण लाया जा सकता है।

सशक्तिकरण की विचारणा को मात्र लिंग–सम्बन्धों के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। यह केवल एक लैंगिक मुद्दा ही नहीं है, अपितु यह एक ऐसा विकासात्मक मुद्दा है जो स्त्रियों और पुरुषों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। मोटे रूप में, यह हासियों पर जो समूह है (विशेष कर ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति), उनसे संबन्धित एक मुद्दा है। एक उनके आत्म–सम्मान, आत्मविश्वास और शक्ति की अनुभूति तथा विस्तृत संदर्भ

में स्व और दूसरों से सम्मान प्राप्ति के अधिकार को योग्यक्षम मानने का भाव का मुद्दा है। सशक्तिकरण व्यक्तिगत, सम्बन्धात्मक और सामूहिक त्रीस्तरीय मुद्दा है। यह एक प्रक्रिया है, कोई निष्पत्ति या उत्पाद नहीं है।

श्रीलथा बाटलीवाला (1994) ने शक्ति और सशक्तिकरण की व्याख्या भौतिक सम्पत्ति, बौद्धिक संसाधनों और विचारधारा पर नियन्त्रण के रूप में की है। आपके शब्दों में 'सशक्तिकरण से तात्पर्य विद्यामन शक्ति सम्बन्धों को चुनौती और शक्ति के स्त्रोतों पर (हासिये पर रहने वाले समूहों द्वारा) अधिकाधिक नियंत्रण प्राप्त करने से है।' इस प्रकार के नियंत्रण के लिये यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक के साथ–साथ राष्ट्रीय एवं सामुदायिक शक्ति संरचना पर राजनीतिक क्रिया द्वारा सामूहिक प्रहार किया जाये जो स्त्रियों और कुछेक पुरुषों का उत्पीड़न करते है।

नैइला कबीर (1994) ने संसाधनों, संस्थाओं और निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी उदारवादी और मार्क्सवादी शक्ति सम्बन्धित दृष्टिकोणों की आलोचना की है, किन्तु उन्होंने लुक्स (1974) के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि "शक्ति विचार–विनिमय, विमर्श और मुद्दों पर नियंत्रण प्राप्त करने की एक क्षमता है।[8] इस प्रकार से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य ग्रामीण महिलाओं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनने से है ताकि वे अपने जीवन के फैसले स्वयं ले सके। जिनकी अवधारणा निम्न प्रकार से है:–

सुशीला कौशिक (1993) ने ग्रामीण महिला एवं पंचायतीराज पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। 73 वें संविधान संशोधन के पश्चात् एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं हेतु आरक्षण के संविधिक प्रावधान के पश्चात् यह विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय के लिये एक महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन में स्थानीय स्वशासन हेतु महिलाओं की एवं प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है तथा जिसमें महिलायें सशक्त हुई।[9]

राकेश शर्मा 'निर्रीथ (2006) पंचायती राज अधिनियम 73 वा ने बताया कि महिला सरपंचों की सशक्तिकरण की गाथा आये दिन देखने को मिलती है। पंचायती राज संस्थाओ में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 60 लाख महिलाओं का प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया को तेजी से हवा दी है तथा महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार मिला।[10]

निर्मला सिंह (2006) पंचायती राज अधिनियम 73 वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाएं राजनीति में सक्रिय एवं सशक्त हुई। इस अधिनियम के तहत पंचायती राज के तीन चुनाव हो चुके हैं। इतने कम समय में महिलाओं का सशक्तिकरण किस दिशा में हुआ है। महिलाये अपने उत्तरदायित्वों का भली–भांति निर्वाह कर सकती है तथा समाज को नई दिशा की ओर अग्रसर हो रही है।[11]

जून 2011 में आजीविका मिशन शुरु किया गया। इसके तहत देश के छः लाख गांवों 25 लाख पंचायतों 6000 ब्लाकों एवं 600 जिलों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 7 करोड़ बी.पी. एल परिवारों को इसके दायरे में लाया गया सोनिया गांधी ने यह भी कहा था कि दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये ऐसी महत्वाकांक्षी और बडी योजना चलाई जा रही है। इसके लिये 1000 सदस्यों के 50 स्वयंसहायता समूहों के संबधन के लिए अधिकतम 2.15 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं। समूहों के द्वारा लिए गए ऋण का 25 प्रतिशत व उनकी बचत का पाँच प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है।[12]

वर्तमान भारत सरकार के द्वारा चलाये गये योजनाओं के द्वारा **बेटी बचाओं और बेटी पढाओं** का नारा हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से 22 जनवरी 2015 को तथा **सबका साथ सबका विकास** जैसा नारा लगा कर। देश ग्रामीण क्षेत्र को उज्जवला, आजीविका तमाम ऐसे कार्यो से उन्हें विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है।[13]

नमो ड्रोन दीदी योजना

नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को कृषि जोन से लैस करके सशक्त बनाने के लिए निःशुल्क की गई एक केन्द्रीय क्षेत्र की पहल है।

नमो ड्रोन दीदी योजना 2023-2024 से 2025-2026 तक 1261 करोड़ रुपये की लागत से एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है। यह महिला स्वयं सहायता समूहों (SGHs) को ड्रोन तकनीक से लैस कर कृषि कार्यों (उर्वरक/ कीटनाशक छिड़काव) के सशक्त बनाती है। योजना के तहत 15000 महिला समूहों को सब्सिडी पर ड्रोन प्रदान किये जा रहे है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।[14]

हरियाणा सरकार की एक पहल है जिसका नाम "ड्रोन दीदी स्कीम" है। इसमें 2024–25 के दौरान करनाल में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा (Drone Imaging and Information Services of Haryana - DRIISHYA) के जरिए 500 महिला स्वयं सहायता समूह (Self-Help Group) की 5000 बहनों को ड्रोन ऑपरेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन दिया जाएगा। वे इसे खेती के कामों के लिए किसानों को किराए पर दे सकते हैं।[15]

केन्द्र सरकार की योजना को उत्तर प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित आधुनिक कृषि तकनीकी (नैनो उर्वरक/ कीटनाशक छिड़काव) जोड़ना है। भारत सरकार की इस योजना के तहत यूपी के 75 जिलों में 2236 से अधिक ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य है, जो ग्रामीण महिलाओ की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से सशक्त बना रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए मेरठ, हस्तिानपुर, खरखौदा, सरधना, सरूरपुर किला परिक्षितगढ़, माछरा, मवाना, दौराला, रजपुरा, जानी, रोहटा – 12 ब्लॉकों में 13 ड्रोन स्वीकृत किये गये है। यह योजना महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित खेती में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने पर केन्द्रीत है।

इसके अतिरिक्त, मेरठ में देश का पहला मानव रहित विमान (UAV) और ड्रोन सर्वे बनाया जा रहा है जो क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के बुनयादी ढ़ांचे को मजबूत करेगा। भारत का कृषि परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और महिलायें इस डिजिटल परिवर्तन में सबसे आगे हैं यह ऐतिहासिक पहल खेती में ग्रामीण महिलाओं की भूमिकाओं को फिर से परिभाषित कर रही है, अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक को रोजमर्रा की कृषि प्रथाओं में एकीकृत कर रही है।[16]

ग्रामीण महिलाओं में व्यापक भागीदारी और स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की संरचना की गई है तथा स्मार्ट खेती के भविष्य का निर्माण करते हुए नई आम के अवसर प्रदान कर रही है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

- **ड्रोन आवंटनः** पूरे भारत में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन का वितरण।
- **रियायती खरीदः** ड्रोन लागत पर 80% तक सब्सिडी, आठ लाख रुपये पर सीमित, नाटकीय रूप से प्रवेश के लिए बाधाओं को कम करती है।
- **वहनीय वित्तपोषणः** शेष ड्रोन लागत के लिए तीन प्रतिशत की कम ब्याज दर पर योजना–समर्थित ऋण।

- **प्रशिक्षण और कौशल विकासः** प्रत्येक सहायता समूह ड्रोन संचालन, रखरखाव और कृषि अनुप्रयोग में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं तकनीकी और व्यावसायिक दोनों पहलुओं में आश्वस्त हैं।
- **उद्यमी अवसरः** एसएचजी से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रति वर्ष कम से कम एक लाख रुपये की अतिरिक्त आय उत्पन्न करेंगे, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कृषि–तकनीकी उद्यमियों में बदल दिया जा सके।
- योजना महिलाओं को कैसे सशक्त बनाती है?

नमो ड्रोन दीदी योजना एक प्रौद्योगिकी उन्नयन से अधिक है– यह महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए उत्प्रेरक है।

- **आर्थिक स्वतंत्रताः** महिला स्वयं सहायता समूह अब ड्रोन किराए पर लेने और किसानों को छिड़काव सेवाएं प्रदान करके स्थिर, अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हैं।
- **कौशल उन्नतिः** यह योजना तकनीकी कौशल का निर्माण करती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं में ड्रोन पायलटों और कृषि–तकनीकी विशेषज्ञों की एक नई लहर पैदा होती है।
- **सामुदायिक नेतृत्वः** स्वयं सहायता समूह अपने समुदायों में प्रौद्योगिकी के नेता बन जाते हैं, पारंपरिक बाधाओं को तोड़ते हैं और ग्रामीण महिलाओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित करते हैं।
- **वित्तीय समावेशनः** रियायती ऋण और व्यावसायिक सहायता तक पहुंच यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं और औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हैं।

स्मार्ट ड्रोन के साथ कृषि को आगे बढ़ाना

नमो ड्रोन दीदी योजना भारतीय कृषि के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण हैः–

- **प्रेसिजन फार्मिंगः** ड्रोन उर्वरकों और कीटनाशकों के एक समान अनुप्रयोग को सुनिश्चित करते हैं, अपव्यय को कम करते हैं और फसल के स्वास्थ्य और उपज में वृद्धि करते हैं।
- **लागत दक्षताः** ड्रोन सेवाएं किसानों के लिए श्रम लागत को कम करती हैं और रसायनों के संपर्क को कम करती हैं, जिससे खेती सुरक्षित और अधिक लाभदायक हो जाती है।
- **नैनो–उर्वरकों को अपनानाः** यह योजना सक्रिय रूप से नैनो–उर्वरकों और कुशल रासायनिक उपयोग के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, जो स्थायी कृषि प्रथाओं में योगदान देती है।
- **फसल निगरानीः** ड्रोन फसल स्वास्थ्य में वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को स्मार्ट, डेटा–संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है।[17]

निष्कर्ष

अतः इस प्रकार स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में अनेक गतिविधियों द्वारा न केवल महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है अपितु समाज में सकारात्मक व रचनात्मक वातावरण को विकसित करने में भी सहायक है। अतः स्वयं सहायता समूह के द्वारा देश के निमार्ण में तथा विभिन्न सामाजिक विषमताओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, भ्रष्टाचार एवं महिला व बाल उत्पीडन इत्यादि को जन–आन्दोलन एवं भागीदारी से दूर करने में सरकार व समाज को अपना बहूमूल्य योगदान दे सकती है। साथ ही महिलाओं के द्वारा परिवार, समाज व देश की प्रगति नीव रखी

जा सकती है। यह तभी हो सकता है। जब हम उन्हें सशक्त व मजबूत बनाएं। नमो ड्रोन दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे ग्रामीण महिलायें आत्मनिर्भर एवं सशक्त हुई है तथा कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके द्वारा ग्रामीण महिलाए अंकीय (डिजिटल) कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकता और आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रही है। इस तथ्य को साकार करने में स्वयं सहायता समूह (नमो ड्रोन दीदी योजना) की भागीदारी निश्चित कर भारत को वास्तविक अर्थो में समृद्ध, विकसित एवं समतामूलक राष्ट्रों की श्रेणी में ला सकते है।

संदर्भ सूची

https://ijnrd.org
www.jetir.org
गुप्ता, एम.एल., शर्मा, डा. डी. डी., ''भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र'' : **भारतीय ग्रामीण समुदाय**, साहित्य भवन पबिल्केशन (आगरा) पृष्ठ – 46-1
एम. कार. एम. चेन, आर. झाब बाल, स्पिकिंग आपर : बोमेन्स इकोनॉमी इन साउथ एशिश्या : इण्टरमीडिएट टैक्नोलॉजी पब्लिकेशन, लंदन – 1996 पृष्ठ संख्या – 08
https://ijnrd.org
साहनी, प्रतिभा – 2019 ''महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह ''हिन्दी बुक सेन्टर'' नई दिल्ली।
https://share.google/aggG1fntenxzMtuoA
रावत, हरिकृष्ण, ''समाजशास्त्र विश्वकोष'' रावत पब्लिकेशन'' जयपुर, पृष्ठ – 147
कौशिक, सुशीला ''वुमन्स एण्ड पंचायती राज'', हर आनन्द पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1993
शर्मा राकेश ''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका'' ''कुरुक्षेत्र'' ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली, 2006 अंक –10 पृष्ठ 17-19
सिंह, निर्मला, ''राजस्थान में पंचायती राज महिला सशक्तिकरण,'' ''कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक–10, 2006 पृष्ठ – 35-36
www.jetir.org
www.jetir.org
https://lakhpatididi.gov.in
https://www.itiharyana.gov.in
https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-meerut-gets-drones-foragriculture-monitoring-under-namo-drone-project-23951206.html
https://www.itiharyana.gov.in